राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक:एफ–8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/ 8933 दिनांक– 30/8/2022

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी,
राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फेकल्टी आमन्त्रित करने के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश ।

संदर्भः– वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, जयपुर के परिपत्र कमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के कम लेख है कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार होंगे :–

1. विभिन्न राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा " विद्या संवल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित स्तर से (संस्था प्रधान द्वारा) बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गेस्ट फेकल्टी का चयन किया जा सकेगा।
2. गेस्ट फेकल्टी की व्यवस्था प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।
3. संस्थान में कार्यरत प्रधानाचार्य सहित समस्त शैक्षणिक स्टाफ(कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक सहित यदि कोई है) को AICTE के मानदण्डानुसार शिक्षण भार का वितरण (10% अतिरिक्त सहित) किया जायेगा
4. वर्तमान में प्रभावी राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम–2017 में प्रवक्ता के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थियों/उक्त सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी को ही गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयुसीमा 65 वर्ष रहेगी।
5. अंग्रेजी विषय हेतु AICTE नियमानुसार योग्यता वाले अतिथि प्रवक्ता उपलब्ध नहीं होने पर प्रशासनिक विभाग के पत्र कमांक प. 8(14)त.शि./2006 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी से अतिथि प्रवक्ता की सेवाएँ ली जायेगी।
6. प्रशासनिक विभाग के पत्र कमांक एफ. 1(23)त.शि./2014 दिनांक 22.02.2022 द्वारा जिन राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कुछ विषयों के पद स्वीकृत नहीं है, उन विषयों हेतु उन्हीं विषयों के विषय विशेषज्ञ द्वारा अध्यापन कार्य उसी महाविद्यालय अथवा अन्य महाविद्यालय के अन्य विषय के स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध किये जाने की व्यवस्था के कम में संबंधित महाविद्यालय में स्वीकृत शैक्षणिक पदों में से रिक्त पदों के विरूद्ध किसी भी विषय की गेस्ट फैकल्टी रखे जाने की सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102200840 दिनांक 18.02.2022 के अनुसरण में प्रदान की जाती है।
7. राजकीय सेवा में कार्यरत/सेवारत कार्मिक को नहीं लगाया जाएगा।
8. गत वर्ष विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन करवाने वाली ऐसी गैस्ट फैकल्टी जिन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश प्रदान करते हुए आदेशित किया है कि :–

" In the meanwhile respondants shall not engage any one else in place of the petitioner in 'Vidhya Sambal Yojna'", माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने तक माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जानी है।

9. कुछ महाविद्यालयों में एक मात्र स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षक के किसी अन्य संस्थान/कार्यालय में कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत होने की स्थिति में गेस्ट फेकल्टी आमन्त्रित नहीं की जायेगी। परन्तु तकनीकी शिक्षा निदेशालय/विभाग के आदेश द्वारा किसी शिक्षक के किसी अन्य संस्थान/कार्यालय में नियमित कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत होने की स्थिति में गेस्ट फेकल्टी आमन्त्रित किया जा सकेगा।

10. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फेकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूचना में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।

11. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फेकल्टी की आवश्यकता होने पर निदेशालय से गेस्ट फेकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फेकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

12. गेस्ट फेकल्टी पर आमन्त्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेंगे, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौपा जाना है।

13. मातृत्व अवकाश एवं चाइल्ड केयर लीव का उपभोग करने वाले प्रवक्ताओं का शैक्षणिक भार अन्य कार्यरत सम्बन्धित विषय प्रवक्ताओं द्वारा लिया जायेगा। विषय प्रवक्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शैक्षणिक कार्य विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जा सकेगा।

14. विषय विशेषज्ञों (गेस्ट फेकल्टी) की उपस्थिति हस्ताक्षर सहित संस्थान में संधारित नहीं की जायेगी तथा न ही विषय विशेषज्ञों (गेस्ट फेकल्टी) को किसी प्रकार का अनुभव/कार्यरत होने का प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

15. यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2022–23 के शिक्षा सत्र हेतु ही है।

16. **गेस्ट फेकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–**

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित संस्था प्रधान, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें। शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व इस योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर समाचार–पत्र में संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रैस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आमन्त्रित किये जायेंगे। यह कार्य यथासम्भव दोनों सेमेस्टरों की आवश्यकतानुसार व तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक व प्रारूपकार की आवश्यकता को सम्मिलित करते हुए शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व एक बार में ही कर लिया जावे। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः आवेदन हेतु कार्यवाही करें तथा इसकी सूचना निदेशालय को देवें।

(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निदेशालय द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं (संलग्न सारणी–1) के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर विषय/ब्रांचवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निदेशालय में संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा पैनल का परीक्षण किया जायेगा। निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् गेस्ट फेकल्टी के पैनल से वरीयता

कम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा। गेस्ट फेकल्टी के पैनल की संस्थान स्तरीय कमेटी की अनुशंषा पश्चात निदेशालय को अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने वाला प्रस्ताव निम्नानुसार भिजवाया जाए :-

1. प्रस्ताव के साथ स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति भिजवाएँ।
2. महाविद्यालय में आवश्यक गेस्ट फेकल्टी की संख्या, रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रारूप भिजवाएं :-

| क.सं. | गेस्ट फेकल्टी की विषय/ब्रांच | किस रिक्त पद के विरुद्ध लगाया जाना है |
|---|---|---|
| | | |

3. गेस्ट फेकल्टी के पैनल का निदेशालय से अनुमोदन हेतु सभी अभ्यर्थियों की वरीयता सूची संलग्न सारणी-2 के प्रारूप के अनुसार भिजवाएँ।

(C) चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के पद हेतु दिए गये नियुक्ति प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति व उपलब्धता प्रदान करनी होगी। प्रधानाचार्य द्वारा तय किये गये समय पर वे कार्य करने आयेंगे। सात दिवस में उपलब्ध नहीं हो पाने पर वरीयता सूची के अग्रिम कमांक के अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।

(E) इस योजना के तहत गेस्ट फेकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ-पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) अनियमितता, दुराचरण या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाचार्य द्वारा गेस्ट फेकल्टी को कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

(G) विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी मोनीटरिंग करेंगे तथा सम्पूर्ण रिकार्ड संधारित कर भुगतान हेतु प्रधानाचार्य को संतोषजनक अध्यापन के प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित करेंगे।

(H) गेस्ट फेकल्टी के कार्य की संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(राजीव कुमार जयसवाल)
संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

संलग्नः-
1. सारणी-1 पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
2. सारणी-2 निदेशालय में अनुमोदन हेतु भिजवाए जाने वाली वरीयता सूची का प्रारूप
3. वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 30.03.2021
4. गेस्ट फेकल्टी से लिया जाने वाला शपथ-पत्र.
5. गेस्ट फेकल्टी हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी/गैर अभियांत्रिकी) सेवा संशोधन नियम-2017 की प्रति।

कमांक:एफ-8(1-ए)प्राशिनि/ई-1/सी-5/2021/ दिनांक:-

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देशों का प्रशासनिक विभाग के स्तर पर अनुमोदन कराने का श्रम करावें।
2. संयुक्त निदेशक (सी-1 व ई-2), वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सहायक निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।

(राजीव कुमार जयसवाल)
संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

सारणी–1 विद्या सम्बल योजनान्तर्गत गेस्ट फेकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

| क. स. | शैक्षणिक योग्यता / अनुभव / पुरस्कार | निर्धारित अंक (स्कोर) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्नातक (विज्ञान एव मानविकी विषय सहित सभी के लिए) | 80 प्रतिशत और उससे अधिक=21 | 70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=18 | 60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=16 | 60 प्रतिशत से कम पर =10 |
| 2. | अधिस्नातक (सभी के लिए) | 80 प्रतिशत और उससे अधिक=21 | 70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=18 | 60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=16 | 60 प्रतिशत से कम पर =10 |
| 3. | एम.फिल. / पी.एच.डी. (अधिकतम 25 अंक) | | | | |
| (i) | एम.फिल. (only for Physics, Chemistry, Maths, English) | 60 प्रतिशत और उससे अधिक =07 | 55 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम=05 | | |
| (ii) | पी.एच.डी. | 25 | | | |
| 4. | JRF NET/NET/SET/SLET/GATE (अधिकतम 10 अंक) | | | | |
| (i) | जेआरएफ सहित नेट | 10 | | | |
| (ii) | नेट | 05 | | | |
| (iii) | स्लेट या सेट | 05 | | | |
| (iv) | गेट | 10 | | | |
| 5. | शोध प्रकाशन (मुख्य लेखक के रूप में 14 जून 2019 के पश्चात् UGC CARE तथा इससे पूर्व UGC approved Journal/Web of Science या SCOPUS Indexed Journal में सूचीबद्ध प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 03 अंक) | 06 (अधिकतम) | | | |
| 6. | शिक्षण अनुभव (डिप्लोमा या उच्च स्तर पर) की स्थिति में प्रत्येक एक वर्ष के लिए 03 अंक ।<br>प्रवक्ता या उच्च स्तर पर अर्जित गैर शैक्षणिक अनुभव की स्थिति में प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक।<br>तथापि यदि अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को आनुपातिक रूप से लिया जाएगा। | 12 (अधिकतम) | | | |
| 7. | आवेदित महाविद्यालय में पूर्व में पढ़ाने का अनुभव (न्यूनतम 1 | 2 (अधिकतम) [अतिरिक्त] | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | वर्ष सन्तोषजनक अध्यापन अनुभव होने पर) | |
| 8. | पुरस्कार (अधिकतम 3 अंक) | |
| (i) | अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार) | 03 (अधिकतम) |
| (ii) | राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार) | 02 |

(राजीव कुमार जयसवाल)
संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

| | | |
|---|---|---|
| | वर्ष सन्तोषजनक अध्यापन अनुभव होने पर) | |
| 8. | पुरस्कार (अधिकतम 3 अंक) | |
| (i) | अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार) | 03 (अधिकतम) |
| (ii) | राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार) | 02 |

(राजीव कुमार जयसवाल)
संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा